103

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2998–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–6–2016 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 20/15–16/अपील

1–तुलसीराम पुत्र स्व0श्री राजाराम
निवासी म.नं. 48 गली नं.07 नवजीवन कॉलोनी,
छोला रोड भोपाल
2–बबलू पुत्र स्व0श्री राजाराम
निवासी घाटमपुरा वार्ड क्रमांक 17
तहसील व जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–मुन्नालाल आत्मज स्व0श्री राजाराम विश्वकर्मा
2–विजय विश्वकर्मा आत्मज श्री मुन्नालाल
निवासी घाटमपुरा वार्ड क्रमांक 17
तहसील व जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री के0एस0राजपूत, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी0एम0विश्वकर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31–7–12 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 18–11–2015 को लगभग 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 28–6–16 को आदेश पारित किया जाकर अपील समय सीमा से बाहर होने के कारण निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से आयुक्त के समक्ष अनेक न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये थे कि समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपील निरस्त नहीं की जा सकती है, परन्तु उनके द्वारा न्यायदृष्टांत पर ध्यान नहीं देकर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 2 को आवेदकगण के दादा को रजिस्ट्री करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था क्योंकि उनके दादा वृद्ध थे और उन्हें भूमि विकय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह भी कहा गया कि आवेदक के दादा भूमि विकय करना थी तब भी आवेदकगण की सहमति आवश्यक थी, बिना सहमति के भूमि विकय नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पिता की मृत्यु दिनांक 28–9–15 को होने पर उनके द्वारा अनावेदकगण से प्रश्नाधीन मकान के बटवारे हेतु कहा गया, तब अनावेदक कमांक 1 द्वारा बताया गया कि मकान तो अनावेदक कमांक 2 के नाम हो चुका है तब जानकारी हुई, अतः उनके द्वारा समय सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्ययालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण में अनावेदकगण उपस्थित रहे हैं और उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है अतः आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित

कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण में अनावेदकगण उपस्थित रहे हैं और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31–7–12 को उभयपक्ष द्वारा दिनांक 22–8–2012 को नोट किया गया है अतः जिसकी अपील आयुक्त के समक्ष दिनांक 18–11–2015 को प्रस्तुत की गई है जो कि स्पष्टतः अवधि बाह्य थी । अतः आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर